



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-62

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 263606 दिनांक 28/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ratan Singh Meena S/o Prahlad Singh	श्रीमती अरूणा गुप्ता पत्नि श्री राम गोपाल गुप्ता	50	248.60 SQ. YARD	Private	BALAJI ENCLAVE-II Sector/Block-C	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना बालाजी एनक्लेव-II के भूखण्ड संख्या सी-50 क्षेत्रफल 248.60 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 25.02.2009 को श्रीमती अरूणा गुप्ता पत्नि श्री राम गोपाल गुप्ता के नाम से जारी की गई। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 11.04.2012 को श्रीमती अरूणा गुप्ता पत्नि श्री राम गोपाल गुप्ता के द्वारा श्री किरोडी लाल शर्मा पुत्र श्री राम प्रताप शर्मा को कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

03.01.2020 को श्री किरोडी लाल शर्मा पुत्र श्री राम प्रताप शर्मा द्वारा श्री रायचन्द बाबेल पुत्र श्री तिलोक चन्द को कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 29.07.2024 को श्री रायचन्द बाबेल पुत्र श्री तिलोक चन्द द्वारा श्री रतन सिंह मील पुत्र श्री प्रहलाद सिंह को कर दिया गया। आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ratan Singh Meena S/o Prahlad Singh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004